न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अशोक कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 139/14

ओमप्रकाश पुत्र श्री नानूराम जाति जाट निवासी बींझवायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 13 क (1–क) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री राकेश कुमार मनचन्दा
2. पैरोकार राज

निर्णय दिनांकः 19.08.2020

1. प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ओम प्रकाश द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 13 ए (1–क) उपनिवेशन अधिनियम 1954 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि चक 40 एमओडी पुराना व वर्तमान चक 7 डीबीएन तहसील सूरतगढ़ के पत्थर न. 64/275 के किला न. 16 ता 19/4–00 बीघा, 20/0–17 बीघा, 21/0–14 बीघा, 22/0–17 बीघा, 23/0–17 बीघा, 24/0–17 बीघा, 25/0–17 बीघा =8–19 बीघा अ.क. बा. मुमकिन व 1–01 बीघा गैरमुमकिन कुल 10.00 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.08. 1973 को जरिये पंजीबद्व बैयनामा सरजीत सिंह पुत्र प्रताप सिंह व गुरनाम सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख साकिन मोजा खोथावाली तहसील सूरतगढ़ से खरीद किया हुआ है। जिसका खरीद से लेकर आज तक मौका पर प्रार्थी का कब्जा चला रहा है। प्रश्नगत भूमि चक 7 डीबीएन तहसील सूरतगढ़ केग पत्थर न. 64/275 मुरब्बा न. 1 किला न. 16 ता 25 की कुल 2.5300 है0 अ0क0बा0 मय गै0मु0 रास्ता जमाबंदी सम्वत 2070 ता 2073 में विक्रेता सरजीत सिंह पुत्र प्रताप सिंह के नाम गैरखातेदारी अंकित है। उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के द्वारा सनद संख्यण 660 दिनांक 11.03.1974 के द्वारा उक्त मद संख्या 1 में अंकित विक्रेतागण के नाम से जारी किये हुए है। उक्त 10.00 बीघा अ.क.बा. मय गैर मुमकिन रास्ता कृषि भूमि बिना अनुमति के बैयनामा द्वारा कय किया गया होनें से शमन फीस जमा करवाकर खरीद का नियमितीकरण करने की प्रार्थना की । प्रार्थना पत्र प्राप्त होनें पर दिनांक 24.12.2014 को शमन फीस जमा करवाने के आदेश व दिनांक 31.12.2014 को शमन फीस मय ब्याज जमा करवाने के साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है।
2. प्रश्नगत भूमि की शमन फीस मय ब्याज जमा होने व रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त होने के पश्चात उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियमों का अवलोकन करवाया गया तथा प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए व विक्रय पत्र एवं तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र के तथ्य सिद्व होना व नियम विरूद्व विक्रय पत्र के नियमितीकरण हेतु राज्य सरकार के पत्रांक प. 4 (27) उप/1984 जयपुर, दिनांक 17.जून 2014 का अवलोकन करवाया गया जिसमें नियम विरूद्व बेचान धारा 13–क की उपधारा (1) के अन्तर्गत विक्रय विधिमान्य करार हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि 31.12.2014 तक बढ़ाई गई है। हस्तगत प्रकरण में शास्ति दिनांक 31.12.2014 को जमा होने के आधार पर प्रार्थी द्वारा खरीद की गई जैर प्रकरण भूमि को विधिमान्य घोषित करने की प्रार्थना की गई है। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार चक 7 डीबीएन तहसील सूरतगढ़ के पत्थर न. 64/275 के किला न. 16 ता 19/4–00 बीघा, 20/0–17 बीघा, 21/0–1 : बीघा, 22/0–17 बीघा,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

23/0–17 बीघा, 24/0–17 बीघा, 25/0–17 बीघा =8–19 बीघा अ.क.बा. मुमकिन व 1–01 बीघा गैरमुमकिन कुल 10.00 बीघा कृषि भूमि सरजीत सिंह पुत्र प्रताप सिंह व गुरनाम सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख साकिन मोजा खोथावाली तहसील सूरतगढ़ के नाम दर्ज कागजात है जो प्रार्थी ओम प्रकाश द्वारा दिनांक 16.08.1973 को जरिये पंजीबद्व बैयनामा से खरीद किया हुआ है। एवं वर्तमान में उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। इस आधार पर विक्रय पत्र विधिमान्य घोषित कर भूमि इसी अनुसार बाद सनद खातेदारी दर्ज कर प्रार्थीगण के नाम अंकित करने की स्वीकृति प्रदान करने की प्रार्थना की।

3. पैराकर राज द्वारा राज्यहित को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करने की प्रार्थना की।

4. उभय पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने व चिंतन मनन करने से पाया कि प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयमाना खरीद की गई जैरप्रकरण भूमि चक 40 एमओडी पुराना व वर्तमान चक 7 डीबीएन तहसील सूरतगढ़ के पत्थर न. 64/275 के किला न. 16 ता 19/4–00 बीघा, 20/0–17 बीघा, 21/0–14 बीघा, 22/0–17 बीघा, 23/0–17 बीघा, 24/0–17 बीघा, 25/0–17 बीघा =8–19 बीघा अ.क.बा. मुमकिन व 1–01 बीघा गैरमुमकिन कुल 10.00 बीघा हस्तांतरण की दिनांक को विकेता के नाम से गैर खातेदारी थी, जिसकी खातेदारी सनद कमांक 662 दिनांक 11.03.1974 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा विकेता के नाम जारी कर दी गई थी। प्रार्थी द्वारा उक्त खरीद शुदा भूमि को नियमानुसार विधिमान्य करार दिये जाने हेतु शमन फीस निर्धारित समयावधी में जमा करवा दी गई है। रिपोर्ट तहसीलदार सूरतगढ़ अनुसार किसी प्रकार का विवाद भी उक्त भूमि के संबंध में जैरकार नहीं है। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सिद्व करती है। अलॉटी द्वारा उक्त रकबा जरिये इकरारनामा दिनांक 16.08.1973 को बेचान कर कब्जा सौंपा हुआ है। उक्त अंतरण आवंटन के करीब दस वर्ष के पश्चात् गैरखातेदारी के दौरान किया गया है। जिसका नियमितिकरण करने के आदेश दिये जाने मैं उचित समझता हूँ।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 13 ए (1–ए) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी के पक्ष में हुए गैरखातेदारी अंतरण को नियमित घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश किया जाता है कि इस आदेश का राजस्व अभिलेखों में अंकन बैयनामा तस्दीक होने के पश्चात् निर्णयानुसार किया जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को भिजवायी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 19.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ गंगानगर)

Scanned by CamScanner